

दिनांक-21.09.2026 को अपराह्न 01:00 बजे ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही .

उपस्थिति :- संचिका में अलग से संधारित (छाया प्रति संलग्न)।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में माध्यम से दिनांक-25.08.2025 तक आवेदन प्राप्त किये गये। आवेदन की अंतिम तिथि तक विभिन्न क्षमताओं के गुड़ इकाइयों के कुल 06 आवेदन प्राप्त किये गये। दिनांक-02.09.2026 को प्राप्त सभी 06 आवेदनों को रैंडमाइज किया गया, रैंडमाइजेशन के पश्चात् कुल 06 आवेदन चयनित हुए, जिसकी बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उक्त 06 आवेदनों को दी गई अभ्युक्ति निम्नवत् है:-

Sl. No	Application No.	Applicant Name	Category	Cane Office	Project Unit Size	Remarks
1	2026851916	नाजनी परवीन	GEN	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	Small (5-20TCD)	Approved
2	20268201921	श्री रवी रंजन कुमार	GEN	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	Small (5-20TCD)	Approved
3	20268201920	श्री बैकुण्ठ कुमार झा	GEN	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय	Small (5-20TCD)	Approved
4	20268121919	श्री सुरेश कुमार शर्मा	GEN	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	Medium (21-40TCD)	Approved
5	20266251912	श्री प्रदीप कुमार	GEN	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	Medium (21-40TCD)	Approved
6	20266191908	सफीना खातून	GEN	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	Large (41-60TCD)	आवेदक द्वारा SIPB प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, PAC ने ईख पदाधिकारी मोतिहारी को निदेश दिया की आगामी PAC की बैठक में आवेदक को SIPB प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक-25.03.2026 को कम्प्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा विशेष ईख पदाधिकारी, पटना के कार्यालय अन्तर्गत आवेदक-श्री ज्ञानेश्वर शर्मा, आवेदन संख्या-2026221907, इकाई की क्षमता- लघु (05-20TCD) का चयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पूर्व विशेष ईख पदाधिकारी, पटना द्वारा उक्त आवेदन की अनुशंसा चेक लिस्ट-1 में प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उक्त आवेदन को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

बैठक में उक्त आवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के आवेदन को वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृति हेतु विचार में नहीं लिया जा सकता है। आवेदक पुनः आवेदन करने की पात्रता रखेंगे एवं उनका आवेदन Auto forward होकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्मिलित किया जाएगा।

3. चयनित आवेदक का परियोजना हेतु स्वयं के नाम से भूमि के अतिरिक्त पैतृक भूमि (जिसका आवेदक के नाम से म्यूटेशन नहीं हुआ है जबकि वे भूमि के शेयर होल्डर हैं), वैसे आवेदक के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली तथा परिवार के सभी जीवित सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित ईख पदाधिकारी कार्यादेश निर्गत कर सकेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	ईखायुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7016/2025- 1784/5067 /पटना, दिनांक-24 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक,
ईख विकास/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार,
मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, ईख विकास/उप सचिव, गन्ना
उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.9.26
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7016/2025- 1784/50070 /पटना, दिनांक-24 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.9.26
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7016/2025- 1784/50070 /पटना, दिनांक-24 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना
के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


24.9.26
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7016/2025- 1784/50070 /पटना, दिनांक-24 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।


24.9.26
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7016/2025- 1784/50070 /पटना, दिनांक-24 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


24.9.26
संयुक्त ईखायुक्त।